

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

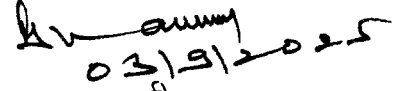
// आदेश //

क्रमांक C/5920/

जबलपुर, दिनांक 04/09/2025

श्री सतीश बाथम, रिकार्ड सप्लायर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को दिनांक 27.10.2025 से 27.12.2025 तक 62 दिन सेवानिवृत्त पूर्व अवकाश (Leave preparatory to retirement) स्वीकृत किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

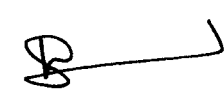

(राजेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक C/5921/

जबलपुर, दिनांक 04/09/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/2155 इंदौर दिनांक 01.08.2025 के संदर्भ में श्री सतीश बाथम, रिकार्ड सप्लायर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. ए.ओ. (जे) स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
5. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
५५